

संदर्भ अनुक्रमणिका

के.स.क.क.आ.सं. नियम

1. प्रस्तावना
2. परिभाषाएं
3. पात्रता
4. विशेष पात्रता मानदंड
5. आवास अवधारणा
6. आवासों के टाइप
7. ईकाई के टाइप के विकल्प हेतु आवेदन
8. नक्शे एवं विनिर्देशन
9. तकनीकी विवरणिका
10. स्टेशन
11. मुख्य योजना
12. आवेदन कैसे करें
13. आवेदकों का पंजीकरण
14. अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों के लिए आरक्षण
15. बुकिंग की पुष्टि
16. आवासीय इकाईयों की लागत
17. भुगतान कार्यक्रम
18. भुगतान में देरी
19. भुगतान कार्यक्रम में परिवर्तन
20. भुगतान का प्रकार
21. ब्याज का भुगतान
22. छूट
23. ऋण प्रबंध
24. विशिष्ट ईकाई का आबंटन
25. योजना से वापसी
26. रद्दीकरण प्रभार
27. कब्जा
28. कब्जा प्राप्त करने में विलम्ब
29. सुपुर्दगी
30. आवासीय इकाईयों का परस्पर परिवर्तन
31. सहकारी सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामी संघ
32. परिवर्तन एवं फरेबदल
33. स्वामित्व
34. उत्तराधिकार
35. हस्तांतरण

36. के.स.क.क.आ.सं. उत्तरदायित्व
37. संगठन के नियमों में संशोधन
38. आवेदन की स्वीकृति
39. मध्यस्थता
40. तथ्यों की गलत बयानी अथवा छिपाना

आवेदन फार्म

1. निर्धारित आवेदन पत्र
2. आवेदन भरने हेतु निदेश
3. शपथ -पत्र

के.स.क.क.आ.सं. नियम

1. प्रस्तावना

- i) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन एक कल्याणकारी उपाय के रूप में "न लाभ न हानि" आधार पर संपूर्ण भारत के चयनित स्थानों पर आवास योजनाओं के विकास के प्रचार,

नियंत्रण एवं समन्वय हेतु स्थापित एक 'सोसाइटी' है। यह सोसाइटी 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निकाय है।

- ii) इसका उद्देश्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को गुणवत्तापरक कल्याणकारी आवास सेवा प्रदान करना है।
- iii) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, सेवारत और सेवानिवृत्त, को संगठन की प्रतिबद्धता के कार्यों की अवधारणा एवं समझ तथा इस मामले में उनके उत्तरदायित्व बताने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। इस प्रकार की विवरणिका पूर्ण तौर पर व्यापक नहीं हो सकती। अतः स्पष्टीकरण के लिए आवेदक नई दिल्ली स्थित संगठन के मुख्य कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

2. परिभाषाएं

- i) 'आम निकाय' का अर्थ संगम ज्ञापन के पैरा-6 के अंतर्गत सूचीबद्ध सदस्यगण है।
- ii) 'शासी परिषद' का अर्थ संगम ज्ञापन के पैरा-5 के अंतर्गत सूचीबद्ध सदस्यगण है।
- iii) 'के.स.क.क.आ.सं.' का अर्थ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन है।
- iv) 'योजना' का अर्थ के.स.क.क.आ.सं. द्वारा उदघोषित स्व-वित्तपोषित आवासीय परियोजना है।
- v) 'आवासीय ईकाई' का अर्थ स्वतंत्र समूह आवासीय अथवा बहुमंजिला निर्माण अथवा चिन्हित प्लॉटों में निर्मित आवास ईकाई के एकल मंजिला/डुप्लेक्स टाइप/फ्लैट टाइप है। 'लाभार्थी' का अर्थ एक पात्र आवेदक है, आवासी ईकाई के लिए जिसकी बुकिंग की पुष्टि के.स.क.क.आ.सं. द्वारा आबंटन के माध्यम से की गई है।
- vi) के.स.क.क.आ.सं. के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा अथवा उनकी ओर से नियुक्त किया गया हो और जिसकी पेंशन, प्रभारित एवं दत्तमत दोनों, भारत की समेकित निधि के नामे हो।

3. पात्रता

वरीयता - I

- i) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी जो उपर्युक्त परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, पात्र होंगे।
- ii) मृतक कर्मचारियों की पत्नी/के पति मृतक केन्द्रीय कर्मचारी/कर्मचारियों अथवा मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पत्नी/के पति पात्र होंगे।
- iii) न्यूनतम एक वर्ष की सेवा कर चुके के.स.क.क.आ.सं. के कर्मचारी पात्र होंगे

वरीयता -II

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन, स्वायत्त निकायों, निगमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि की सेवा में कर्मचारी टिप्पणी प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, वरीयता के क्रम में आबंटन किया जाएगा जैसा कि ऊपर उल्लिखित है। हालांकि **वरीयता I** से प्राप्त आवेदनों की

संख्या निर्मित की जाने वाली प्रस्तावित आवासीय इकाइयों से अधिक होने के मामले में एक कंप्यूटरीकृत ड्रा का आयोजन किया जाएगा।

वरीयता - III

वरीयता-II के सेवानिवृत्त /मृतक कर्मचारियों के पति/पत्नी सहित आम जनता

4. विशेष पात्रता मानदंड

- i) जहां पति और पत्नी दोनों पात्र होंगे, उनमें से केवल एक आवेदन कर सकता है।
- ii) सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी जो, जहां के.स.क.क.आ.सं. योजना तैयार कर रहा है उस शहर/नगर में उनके अथवा उनके पति/पत्नी के नाम पर आवासीय संपत्ति के स्वामी है, उस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। इस प्रयोजन के लिए योजना के शहर से निकट शहरों (उदाहरण दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुडगांव, फरीदाबाद) को एक शहर/नगर /स्थान माना जाएगा।
- iii) के.स.क.क.आ.सं. योजना के अंतर्गत कर्मचारी देशभर में कहीं भी केवल एक आवासीय इकाई के हकदार होंगे।
- iv) कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त किया गया हो, योजना का लाभार्थी नहीं होगा और आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
- v) नगर निगम अथवा स्थानीय विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि के आबंटन से संबंधित पात्रता एवं अन्य शर्तें, उस योजना पर यथा लागू, मान्य होगी।
- vi) कीमत, एफ.ए.आर., उप-विधियों, पात्रता आदि के संबंध में भूमि के आबंटन करने वाली एजेंसी/नक्शा अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा यथा लागू नियम एवं शर्तें मान्य होगी और के.स.क.क.आ.सं. के लाभार्थी के लिए बाध्यकारी होगी।

5. आवास अवधारणा

स्थानीय नागरिक प्राधिकरणों के अनुमोदन के अध्यक्षीन, भूमि, आवासीय इकाइयों और एकल इकाइयों, बहु-इकाइयों में गैराजे, आवास, बहु-मंजिला भवन, समूह आवास अथवा चिन्हित प्लॉटों की उपलब्धता के आधार पर योजना तैयार की जा सकती है। ऐसी योजनाएं स्कीमों के रूप में उदघोषित की जाएंगी, जैसा लागू हो।

6. आवासों के टाइप

के.स.क.क.आ.सं. निम्नलिखित प्रकार के आवासों अथवा फ्लैटों का निर्माण कर सकता है: एक शयन कक्ष इकाइयां- टाइप-ए; दो शयन कक्ष इकाइयां - टाइप-बी; तीन शयन कक्ष इकाइयां- टाइप- सी एवं तीन शयन कक्ष एवं एक अध्ययन/चार शयन कक्ष इकाइयां- टाइप-डी। इन्हें स्कूटर/कार गैराजों के साथ अथवा इसके बिना निर्मित किया जा सकता है। प्रत्येक टाइप में डिजाइन, ले-आउट एवं निर्मित क्षेत्र स्थान-स्थान के हिसाब से भिन्न हो सकता है। नियम 7 में परिवर्तन के स्वरूप और अधिक टाइपों को जोड़ा जा सकता है। अधिक विवरण के लिए कृपया इस विवरणिका का भाग-क देखें।

7. ईकाई के टाइप के विकल्प हेतु आवेदन

आवेदक जिस निम्न समूह से संबंध रखता है वह इकाइयों के उपरोक्त टाइप में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकता है:

टाइप ए- घ, ग, ख एवं क समूह

टाइप बी- ग, ख, एव क समूह

टाइप सी- ख एव क समूह

टाइप डी- क समूह

टिप्पणियां:

- i) आवास ईकाई का एक टाइप से दूसरे टाइप में परिवर्तन के आवेदन पर उक्त पैरा के अनुसार पात्र होने पर मान्य अतिरिक्त आवेदन शुल्क और अग्रिम राशि के भुगतान, और उस विशेष आवासीय इकाई में रिक्तियों की उपलब्धता होने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि निम्न टाइप राशि में परिवर्तन पर आवेदक आवेदन शुल्क के अंतर को प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा किंतु भुगतान किए गए अग्रिम राशि में अंतर की वापसी/उचित समायोजन का हकदार होगा।
- ii) एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने के लिए आवेदक को वर्तमान योजना से पहले अपना आबंटन वापस लेना/वापस लेने का वचन देना होगा और नई योजना में पुनः आवेदन करना होगा, यदि उसकी एक ऐसी इच्छा हो (नियमानुसार रद्दीकरण प्रभार के भुगतान के अध्ययधीन)।
- iii) उसी योजना के अंतर्गत एक टाइप से अन्य टाइप की आवास ईकाई के परिवर्तन या मूलरूप से आबंटित आवासीय ईकाई वास्तविक कब्जे के उपरांत एक योजना से दूसरी योजना में परिवर्तन पर अनुरोध रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा, 3-4 पैरा (i) एवं (ii) में उल्लिखित परिवर्तन को लागू करने सहमति बन जाती है तो यह मान लिया जाएगा कि आवेदक प्रारंभ से ही संशोधित आवास ईकाई की टाइप योजना में शामिल हो चुका था और सभी प्राकर का प्राप्त भुगतान/प्राप्त होने वाले भुगतान को तदानुसार माना जाएगा। इस संदर्भ में के.स.क.क.आ.सं. का निर्णय अंतिम होगा और लाभार्थी को किसी प्रकार का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- iv) यदि के.स.क.क.आ.सं. का वर्तमान लाभार्थी किसी अन्य योजना के अंतर्गत वर्तमान आवासीय योजना में आवेदन का इच्छुक है तो वह केवल आवेदन शुल्क के भुगतान तथा स्पष्ट रूप से शपथ पत्र में के.स.क.क.आ.सं. के पूर्व पंजीकरण तथ्यों का विवरण देकर ऐसा कर सकता है। इस आवासीय योजना में आबंटन की पुष्टि पर संबंधित लाभार्थी को दो पंजीकरणों में से एक सरेंडर करना होगा। मूल आबंटन के लौटाने के मामले में वापसी प्रभार काट लिया जाएगा। यदि, नियमों के अनुसार लागू हो, पेश राशि इस आवासीय योजना के अंतर्गत अंतरित कर दी जाएगी। तथ्यों को सही न बताने पर दोनों आवेदनों/आबंटनों को रद्द किया जा सकता है।

8. नक्शे एवं विनिर्देशन

समूह की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने तथा नागरिक प्राधिकरणों की उपविधियों की पुष्टि हेतु प्रत्येक आवासीय ईकाई के लिए नक्शे एवं विनिर्देशन तैयार किए जाएंगे। प्रत्येक आवासीय ईकाई के लिए अलग विनिर्देशन पर विचार किया जा सकता है।

9. तकनीकी विवरणिका

स्थानीय सांविधिक प्राधिकरणों से नक्शे के अनुमोदन के उपरांत, आवासीय ईकाई के नक्शों और ले-आउट तथा प्रमुख विनिर्देशनों को तकनीकी विवरणिका में प्रकाशित किया जाएगा और सभी लाभार्थियों को परिचालित किया जाएगा (III किश्त मांगने के समय) हालांकि, इनमें निष्पादन के पूर्व अथवा दौरान के.स.क.क.आ.सं. विवेक पर बदलाव किया जा सकता है। के.स.क.क.आ.सं. आवास परियोजनाओं का निर्माण अनुमोदित नक्शों के अनुसार करता है और लाभार्थियों को किसी क्षति का दावा अथवा निर्माण के दौरान अपनाई गई पद्धतियों अथवा कार्यविधि को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा।

10. स्टेशन

के.स.क.क.आ.सं. के प्रयास उन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से निर्माण का होगा जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की अधिकता है। भूमि की उपलब्धता और संभावित मांग के आधार पर अन्य स्थानों को जोड़ा जा सकता है।

11. मुख्य योजना

सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लाभ हेतु एक समय में 5 वर्ष की अवधि के लिए परियोजना की मुख्य योजना तैयार की जाएगी। मुख्य योजना प्रारंभ करने पर प्रत्येक वर्ष संशोधित कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।

12. आवेदन कैसे करें

- i) के.स.क.क.आ.सं. आवेदन आमंत्रित करने हेतु प्रत्येक ईकाई का स्थान, स्टेशन, प्रकार, सम्मिलित क्षेत्रों तथा अनुमानित लागत बताते हुए योजना की घोषणा करेगा।
- ii) कर्मचारी जो लाभार्थी होने का पात्र है नामांकित कार्यालय/मुख्य कार्यालय से 100/-रु0 के नकद भुगतान अथवा 'के.स.क.क.आ.सं.' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पक्ष में नई दिल्ली में देय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ के.स.क.क.आ.सं. नियम/योजना को खरीद सकता है।
- iii) आवेदन फॉर्म की प्राप्ति पर आवेदक को फॉर्म भरना चाहिए तथा निर्दिष्ट समय तक इसे वापस के.स.क.क.आ.सं. को निम्नलिखित के साथ वापस करना चाहिए:

क) अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के लिए बैंक ड्राफ्ट निम्नानुसार है;

टाइप ए एवं बी के लिए 500/- रु0

टाइप सी एवं डी के लिए 1000/- रू0

ख) प्रतिदेय अग्रिम राशि के लिए बैंक ड्राफ्ट निम्नानुसार है:

टाइप ए एवं बी के लिए 50,000/- रू0

टाइप सी एवं डी के लिए 1,00,000/- रू0

ग) के.स.क.क.आ.सं. नियम पुस्तिका में निर्धारित प्ररूप के अनुसार शपथ पत्र

घ) वेतन पर्ची अथवा पी.पी.ओ. की विधिवत साक्ष्यांकित प्रति

टिप्पणियां: आवेदन के साथ जमा अग्रिम राशि पर पहले तीन माह के लिए किसी ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा, जिसकी गणना योजना की समाप्ति की अंतिम तिथि, विस्तार सहित, यदि कोई हो, से की जाएगी। इसके उपरांत तीन महीने के बाद धन वापसी की तिथि तक असफल आबंटितियों को 5 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज का भुगतान किया जाएगा। आबंटन पर भुगतान की गई अग्रिम राशि (आवेदन के साथ) को किश्त (तों) का हिस्सा माना जाएगा और लाभार्थी के लिए माना जाएगा कि उसने पहले किश्त के एक भाग का भुगतान कर दिया है।

13. आवेदकों का पंजीकरण

आवेदन फॉर्म की जांच पर आवेदकों को योजना में आवासीय ईकाई के लिए पंजीकृत किया जाएगा।

14. अ.जा./अ.ज.जा. के आवेदकों के लिए आरक्षण

- i) के.स.क.क.आ.सं. की सभी आवासीय योजनाओं में सभी प्रकार की आवासीय इकाइयों के लिए अ.जा./अ.ज.जा. आवेदकों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है जिसमें प्रत्येक आवासीय ईकाई का टाइप कम से कम आरक्षित श्रेणी में हो और यदि कोई भिन्न अंक हो तो उसे सबसे पास के पूरे अंक के साथ मान लिया जाएगा। ऐसे आबंटनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- ii) केवल आरक्षित श्रेणियों के लिए पहला ड्रॉ निकालने के बाद, अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से आवेदकों की अधिकता के मामले में, सामान्य श्रेणी के आवेदकों के ड्रॉ के लिए असफल आवेदकों पर विचार किया जाएगा। जो सामान्य सामान्य ड्रॉ में सफल होंगे उन्हें आबंटन की पुष्टि कर दी जाएगी और यदि कोई आवेदक पेश बचता हो तो उसे सामान्य प्रतीक्षा सूची के साथ-साथ आरक्षित आवेदकों की श्रेणी में आवेदकों के लिए विशेष रूप से सृजित श्रेणी में डाल दिया जाएगा। हालांकि आरक्षित आवासीय ईकाई की संख्या से कम आवेदन प्राप्त होने पर (आरक्षित श्रेणी से संबंध रखने वाले आवेदकों के आबंटन की पुष्टि देने के उपरांत यह स्वतः वि-आरक्षित मान लिया जाएगा और सामान्य ड्रॉ में माना जाएगा।)
- iii) 'आरक्षित' श्रेणी में विचारार्थ आकांक्षी आवेदकों को उपयुक्त प्राधिकारी से 'जाति' प्रमाणपत्र की साक्ष्यांकित प्रति जमा करनी होगी।

iv) यह 'आरक्षण' केवल वरीयता । के आवेदकों पर लागू होंगे।

15. बुकिंग की पुष्टि

यदि किसी दी गई परियोजना के लिए पंजीकृत आवेदकों की संख्या आवासीय ईकाई से अधिक होती है तो प्रत्येक टाइप के लिए मुख्य कार्यालय में कंप्यूटरीकृत ड्रॉ का आयोजन किया जाएगा। सफल आवेदकों को आबंटन पत्र द्वारा 'बुकिंग की पुष्टि' दी जाएगी।

16. आवासीय इकाइयों की लागत

प्रत्येक योजना के लिए आवास इकाइयों की गैरेज के साथ और उसके बिना लागत को के.स.क.क.आ.सं. द्वारा तय किया जाएगा और योजना की घोषणा के समय उसकी सूचना दी जाएगी। लागत में अन्यों के साथ-साथ योजना के लिए भूमि खरीद पर किए गए निवेश पर ब्याज, समान सुविधाएं, आरक्षित निधियों की लागत, भूमि के पंजीकरण में लगा शुल्क आदि शामिल है। निर्माण के विभिन्न चरणों में लागत की समीक्षा की जाएगी जो बाजार कीमतों, श्रमिकों की मजदूरी, सहकारी सोसायटी अपार्टमेंट स्वामी संघ शुल्क, अनिवार्य परिवर्तन, अतिरिक्त आदि को देखते हुए उसमें वृद्धि हो सकती है। लागत के सभी संशोधनों को लाभार्थियों से लिया जाएगा और इसके भुगतान की जिम्मेदारी उनकी होगी।

विशिष्ट तलों/फ्लैटों के आबंटन हेतु परियोजना के अंत में कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉटस का आयोजन किया जाता है। जब लिफ्ट सुविधा उपलब्ध नहीं होती केवल तभी तल वरीयता का विकल्प मांगा जाता है। जहां भी लिफ्ट सुविधा प्रदान नहीं की गई है वहां विभिन्न तलों के बीच कीमत में अंतर होता है।

टिप्पणी: के.स.क.क.आ.सं. "न लाभ न हानि" आधार पर काम करता है और परियोजना की लागत अंतिम बुलावा पत्र जारी करने के समय ज्ञात देयताओं को ध्यान में रखते हुए तय की जाती है। इसे लाभार्थियों के बीच वितरित कर दिया जाता है। करों की मांग जैसे संपत्ति/आवास/गैर-कृषि अथवा कोई अन्य कर, जो लागत की गणना के बाद प्राप्त हुआ हो, का भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और यह उस लाभार्थी का उत्तरदायित्व होगा जिसे उक्त फ्लैट का आबंटन किया गया हो, यदि मांग लाभार्थी द्वारा क्रय अथवा अधिभोग के तिथि से पूर्व का हो तो भी। इसी प्रकार, बिजली मीटर किराया/प्रभार, सोसायटी प्रभार एवं इस प्रकार के अन्य खर्च, यदि कोई हो, का भुगतान के.स.क.क.आ.सं. द्वारा आबंटन की तिथि से पूर्व/बाद में किया गया हो, तो इसका वहन आवासीय ईकाई के संबंधित आबंटिती द्वारा किया जाएगा; यदि कुछ मामलों में आबंटन परियोजना की समाप्ति अथवा लागत की गणना के बाद किया गया हो, जैसा ऊपर बताया गया है।

17. भुगतान कार्यक्रम

लाभार्थियों को स्व-वित्तीयन आधार पर किश्तों का भुगतान करना होगा। मांग पर भुगतान होगा। कृपया विवरणिका के भाग 'क' का पैरा 7 भी देखें।

18. भुगतान में देरी

प्रारंभिक नामांकन या किशतों का भुगतान देरी से करने के बाद जो लाभार्थी योजना में शामिल हो चुके हैं; या जो प्रतीक्षा सूची से पदोन्नत हो चुके हैं उन्हें समान शुल्क के लिए संबंधित तिथियों से ब्याज राशि देनी होगी। इन भुगतानों पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज लगेगा। इस ब्याज दर में कभी भी बदलाव हो सकता है। भुगतान की अंतिम तिथि से भुगतान कार्यक्रम से 120 दिनों से ज्यादा चूक करने पर आगे कोई सूचना दिए बिना के.स.क.क.आ.सं. के पास पंजीकरण को समाप्त करने और आबंटन रद्द करने का अधिकार आरक्षित होगा।

19. भुगतान कार्यक्रम में परिवर्तन

के.स.क.क.आ.सं. द्वारा प्रत्येक संभव यह प्रयास किया जाएगा कि वह आवास इकाइयों की कीमतें जहां तक संभव हो एकदम निश्चित बताएं किंतु कीमतों में अंतर हो सकता है। निर्माण की प्रगति समानता के लिए भुगतान और कार्यक्रमों में समायोजन अनिवार्य होगा। जो भी परिवर्तन होगा उसकी सूचना लाभार्थियों को दे दी जाएगी।

20. भुगतान का प्रकार

सभी भुगतान केवल नई दिल्ली में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्रॉफ्ट द्वारा की जाएगी जो के.स.क.क.आ.सं. खाता सं. 18816 केनरा बैंक विधिवत रूप से 'अदाता खाता केवल' पृष्ठांकित हो, के पक्ष में देय हो। नकद अथवा व्यक्तिगत चेक (यदि भुगतान योग्य हो) तो भी स्वीकृत नहीं किए जाएंगे।

21. ब्याज का भुगतान

- i) बुकिंग की पुष्टि के बाद भुगतान किए गए किसी सभी किशत पर के.स.क.क.आ.सं. द्वारा लाभार्थियों को किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। लाभार्थी जिनके आबंटन न की पुष्टि की जा चुकी है, रद्दीकरण/नाम वापसी के मामले में भुगतान किए जा चुके किसी भी किशत पर ब्याज के हकदार नहीं होंगे।
- ii) के.स.क.क.आ.सं. द्वारा आवेदन शुल्क पर किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा, जो अप्रतिदेय है।

22. छूट

यदि एक लाभार्थी बुकिंग की पुष्टि के 45 दिनों के भीतर आवासीय ईकाई की कुल कीमत का भुगतान कर देता है, 2.5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। हालांकि यह अथवा कोई अन्य छूट आवासीय ईकाई की अंतिम कीमत के अग्रिम भुगतान के लिए लागू नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना की उदघोषणा के उपरांत, आबंटन प्राप्त करने वाले आवेदकों के लिए यह छूट उपलब्ध होगी। इस योजना से जुड़ने वाले आवेदक, इसके संचालन के दौरान, उपलब्धता तथा जल्द भुगतान की पेशकश के अध्यक्षीन इस छूट के हकदार नहीं होंगे।

23. ऋण प्रबंध

- i) लाभार्थी जो अभी भी केन्द्रीय सरकारी रोजगार में हैं, भारत सरकार के नियमों के अनुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू आवास भवन अग्रिम के हकदार होंगे।
- ii) के.स.क.क.आ.सं. राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवासीय विकास वित्तीय निगमों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क करेंगे तथा ऋणों के माध्यम से वित्तीय सहायता सुरक्षित करने को आगे बढ़ाएंगे। संस्थानों के समझौते के अध्यक्ष, द्वितीय बंधक पर ऋण संभव होगा। हालांकि, ऋण की प्राप्ति की गारंटी नहीं है। इन ऋणों की मात्रा, अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थी की वापसी क्षमता पर निर्भर होगी।

24. विशिष्ट ईकाई आबंटन

परियोजना की समाप्ति के पश्चात विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉक, तल का आबंटन, मुख्य कार्यालय में कंप्यूटरीकृत ड्रा से किया जाएगा और प्रत्येक लाभार्थी को परिणाम की सूचना दी जाएगी। ड्रा के परिणाम से आबंटित विशिष्ट आवासीय ईकाई के ब्लॉक, तल का आबंटन अंतिम होगा और बदलाव के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरक्षण

- i) के.स.क.क.आ.सं. योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक योजना में भू-तल/सबसे नीचे के तलों के फ्लैटों का 3 प्रतिशत तक का आरक्षण विकलांग कर्मचारियों के लिए रखा जाता है।
- ii) निम्नलिखित विकलांगताओं वाले कर्मचारी इस प्रकार के आरक्षण के पात्र होंगे:
 - क) हड्डियों के कारण विकलांगता - तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
 - ख) दृष्टि विकलांग - तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
 - ग) मानसिक बीमारी - तीक्ष्ण (75 प्रतिशत एवं उससे अधिक)
- iii) उपरोक्त सुविधा केवल आबंटिती के पति/पत्नी और बच्चों तक सीमित है।
- iv) सरकारी अस्पताल के विभागाध्यक्ष द्वारा विकलांगता प्रतिशत प्रमाणित किया जाएगा।

25. योजना से वापसी

यदि लाभार्थी योजना से अपना नाम वापस लेना चाहता है तो उसे निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ के.स.क.क.आ.सं. को लिखित अनुरोध देना होगा।

क) मूल आबंटन पत्र (यदि जारी किया गया हो)

ख) लाभार्थी द्वारा जमा किए गए भुगतान(नों) के एवज में कार्यालय द्वारा जारी मूल रसीद (दें)

ग) **अनुलग्नक II** पर उपलब्ध प्रपत्र के अनुसार - पूर्व रसीद योजना से नाम वापस लेने वाले आबंटिती न तो उनके आवेदन प्रभार और न ही ब्याज के भुगतान के पात्र होंगे। पुष्टि प्राप्त कर चुके आबंटिती को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। निर्माण प्रारंभ होने की तारीख के बाद जो आबंटिती अपना नाम वापस लेंगे उन्हें पहली किश्त की 15 प्रतिशत की दर से वापसी शुल्क देना होगा। विशिष्ट तल/फ्लैट के आबंटन के बाद जो आबंटिती अपना नाम वापस लेंगे उन्हें पहली किश्त की 20

प्रतिशत की दर से वापसी प्रभार देना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ वापसी के अनुरोध की प्राप्ति के बाद 45 दिनों के भीतर इसे वापस कर दिया जाएगा।

26. रद्दीकरण प्रभार

निर्माण प्रारंभ होने/विशिष्ट ईकाई के आबंटन के बाद रद्द अथवा वापसी करने के मामले में आवेदन प्रभार के अतिरिक्त प्रथम किश्त का 15 प्रतिशत/ 20 प्रतिशत का प्रभार लगाया जाएगा। ये प्रभार उन लाभार्थियों पर भी लगाया जाएगा जिनकी बुकिंग को के.स.क.क.आ.सं. ने समय से भुगतान करने या अन्य किसी कारण से रद्द कर दिया होगा।

27. कब्जा

सभी बकायों का भुगतान, सभी विलेखों का निष्पादन और के.स.क.क.आ.सं. से अनुमति प्रमाणपत्र प्राप्त करने आदि की सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की शर्त पर लाभार्थी को आबंटित ईकाई को लेने के लिए दो महीने का समय दिया जाएगा।

28. कब्जा प्राप्त करने में विलंब

जिस व्यक्ति को आबंटन दिया गया है यदि वह सूचना अवधि की समय-सीमा बीत जाने के (बाद के प्रतिमाह ऊपरी प्रभार या उसके भाग को भुगतान करने के बाद भी) तीन महीने के बाद भी आवास ईकाई का कब्जा लेने में असफल रहता है तो उसे के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। केवल विशेष परिस्थितियों में ऐसा आबंटिती इस अवधि के विस्तार के लिए के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संपर्क कर सकता है। जिसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विशेष मामला मानते हुए इस अवधि को अन्य अधिकतम केवल तीन महीनों के लिए बढ़ा सकता है।

टाइप ए के लिए 500/- ₹0 प्रतिमाह

टाइप बी के लिए 1500/- ₹0 प्रतिमाह

टाइप सी के लिए 2000/- ₹0 प्रतिमाह

टाइप डी के लिए 3000/- ₹0 प्रतिमाह

29. सुपुर्दगी

ठेकेदार और वास्तुकार द्वारा समाप्ति प्रमाणपत्र देने के बाद 'जैसा है जहां है' आधार पर आवासीय इकाइयों की पेशकश की जाएगी। हालांकि सुपुर्दगी/लेने के समय लाभार्थियों द्वारा देखी गई त्रुटियों और विसंगतियों को दस्तावेज में रिकार्ड कर लिया जाएगा। इनकी जांच की जाएगी और जहां कहीं भी लागू हो त्रुटि दायित्व अवधि में त्रुटि को ठीक किया जाएगा।

30. आवासीय इकाइयों का परस्पर परिवर्तन

योजना के दौरान, आवासीय इकाइयों के टाइप या ड्रॉ होने के बाद विनिर्दिष्ट तल/फ्लैट का उसी योजना में या एओए/सोसायटी द्वारा प्रबंध की गई योजनाओं में परस्पर विनिमय की अनुमति दी जा सकती है। बशर्ते दोनों लाभार्थियों द्वारा यह वचन दिया जाए कि भविष्य में मांगे जाने वाले सभी भुगतानों को दिया जाएगा और योजना से नाम वापस नहीं लिया जाएगा। यद्यपि, अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी योजना से नाम वापसी पर सहमति दे सकते हैं। बशर्ते सामान्य 'वापसी प्रभार' के

भुगतान का दोगुना अर्थात पहली किश्त का 30 प्रतिशत/40 प्रतिशत (के.स.क.क.आ.सं. के नियम का पैरा 25 देखें) का भुगतान कर दिया गया हो।

31. सहकारी सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामी संघ

प्रत्येक योजना के लाभार्थियों द्वारा ऐसे निकाय को चलाने के लिए स्थानीय कानून के अंतर्गत-सहकारी सोसाइटी/अपार्टमेंट स्वामित्व संघ बनाना होगा। सोसायटी/संघ के प्रत्येक लाभार्थी को सदस्यता शुल्क देना होगा। इसके अलावा, प्रत्येक लाभार्थी से आवास ईकाई की अंतिम लागत के 1.5 प्रतिशत के बराबर राशि ली जाएगी और उसके चालू खर्चों को पूरे करने के लिए उसे सोसायटी/संघ के खाते में जा करना होगा। सोसायटी/संघ द्वारा कॉलोनी को चलाना होगा, उसके रख-रखाव की देख-रेख करनी होगी, समान संपत्ति का ध्यान रखना होगा और नागरिक मानकों के लिए दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने होंगे। सोसायटी/संघ को उसकी उपविधियों द्वारा चलाया जाएगा।

“प्रक्रिया एवं दायित्व”

(क) अंतिम बुलावा सूचना जारी होने के साथ अथवा बाद में के.स.क.क.आ.सं. द्वारा प्रस्तावित अपार्टमेंट स्वामी संघ के पदाधिकारियों के चयन के लिए सभी लाभार्थियों की आम बैठक का आयोजन किया जाएगा।

(ख) प्रस्तावित अपार्टमेंट स्वामी संघ की तदर्थ समिति का उद्देश्य औपचारिक रूप से एसोसिएशन का गठन जिसमें ऐसे निकायों को चलाने के लिए स्थानीय कानूनों के अंतर्गत अपनी उपविधियां बनाना और उसे उचित सक्षम प्राधिकरण के साथ शामिल कराना शामिल है।

(ग) संघ की पंजीकरण संबंधी औपचारिकताओं के बाद, नियमित कार्यकारी समिति के चयन और गठन के लिए तदर्थ समिति द्वारा सभी लाभार्थियों की आम बैठक बुलाई जाएगी।

(घ) विधिवत् चयनित तदर्थ समिति द्वारा गठन के 6 महीनों के भीतर परियोजना के सभी समान क्षेत्रों/सेवाओं/सुविधाओं को अपने हाथ में ले लेगी। उस अवधि के दौरान जब के.स.क.क.आ.सं. द्वारा आवासीय परिसर का रख-रखाव किया जाएगा और वास्तविक खर्च किए गए अनुरक्षण लागत को अपार्टमेंट स्वामी संघ के खाते में डाल देगा।

(ड.) तदर्थ/नियमित समिति द्वारा अगले 4 महीनों के भीतर समान सेवाओं/सुविधाओं के लेने में असफल रहने पर के.स.क.क.आ.सं. इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विवेक पर उस स्थल से अपना प्रचालन समाप्त कर दें, जिसमें मानव शक्ति को हटाना, 'जैसा है जहां है' की स्थिति में परिसर को छोड़ना शामिल है। यद्यपि, इन 4 महीनों के दौरान के.स.क.क.आ.सं. द्वारा अपार्टमेंट स्वामी संघ की कीमत पर परिसर का रख-रखाव किया जाएगा, इन दी गई सेवाओं के लिए प्रतिमाह प्रति लाभार्थी 100/- ₹0 की अतिरिक्त राशि ली जाएगी जो वास्तविक रख-रखाव की कीमत से ऊपर और अधिक होगी तथा पेश राशि को सुपुर्द करने से पूर्व, उसे अपार्टमेंट स्वामी संघ के खाते में डाल दिया जाएगा।

(च) जबकि, दैनिक खर्चों के लिए के.स.क.क.आ.सं. द्वारा तदर्थ समिति को कुछ राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी, अध्यक्ष/सचिव के औपचारिक अनुरोध पर एओए की अधिक जमा राशि को केवल कार्यकारी समिति को हस्तांतरित किया जाएगा वह भी तब जब परियोजना की सभी समान क्षेत्रों/सेवाओं/सुविधाओं को इसके द्वारा अपने हाथों में ले लिया जाएगा। हालांकि, एओए प्रभार के रूप में लाभार्थियों से एकत्र की गई राशि पर के.स.क.क.आ.सं. द्वारा एओए को किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

32. परिवर्तन एवं फेर-बदल

सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित पहलुओं पर वचनबंध देना होगा:

- i) केन्द्र अथवा राज्य सरकारों, नागरिक निकायों, के.स.क.क.आ.सं. और सहकारी सोसायटी/अपार्टमेंट स्वामी संघ के कानूनों, उपविधियों, नियमों एवं विनियमों का पालन करना।
- ii) नागरिक प्राधिकरण से पूर्व में लिखित अनुमति के बिना आवासीय ईकाई और गैरेज के संरचनात्मक, डिजाइन, रूपरेखा, उप-विभाजन, विस्तार आदि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- iii) आवासीय इकाइयों और गैरेज का उपयोग रहने और कार/स्कूटर पार्किंग के एक मात्र उद्देश्य के लिए किया जाएगा। इनमें से किसी का भी व्यावसायिक उपयोग नियम और शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।
- iv) सीढ़ियों, गलियारों, छतों, पार्क, लिफ्ट आदि और आम जगहों तथा सेवाओं का उपयोग योजना के अन्य लाभार्थियों के साथ-साथ लाभार्थी द्वारा किया जाएगा और किसी को भी उसके अनन्य उपयोग का अधिकार नहीं होगा और न ही उसमें किसी परिवर्तन का अधिकार होगा।

33. स्वामित्व

लाभार्थी के पक्ष में हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के समय उसके पास आवासीय ईकाई अपने नाम या निम्नलिखित संबंधियों में से किसी एक के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करने का विकल्प होगा:

- क) पत्नी/पति
- ख) पुत्र/पुत्रों, बेटी/बेटियों, कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे सहित
- ग) माता-पिता अविवाहित बच्चों के संबंध में
- घ) भाई/बहन एवं बिना बच्चों के विधवा।

34. उत्तराधिकार

आवासीय ईकाई लेने से पूर्व लाभार्थी की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी या आश्रित बच्चों जिन्हें आवेदन में नामित व्यक्ति दर्शाया गया होगा वे योजना में अपना नाम जारी रखने के पात्र होंगे और इस योजना के अंतर्गत लाभ उठा सकेंगे। अविवाहित सदस्यों के मामले में यह सुविधा केवल आश्रित माता-पिता तक ही सीमित होगी।

35. हस्तांतरण

के.स.क.क.आ.सं. द्वारा लाभार्थियों के पक्ष में आवासीय ईकाई की कानूनी हकदारी देने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में लाभार्थियों को बिक्री/स्थानांतरण/सुपुर्दगी/शाश्वत पट्टा/मुख्तारनाम के निष्पादन द्वारा आवासीय ईकाई के निपटाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी भी हस्तांतरण का परिणाम आवास ईकाई का रद्दीकरण होगा और इस स्थिति में आबंटिती को 'रद्दीकरण प्रभारों' के शीर्ष के अनुसार जुर्माने का भुगतान करना होगा। लाभार्थी के पक्ष में आवासीय ईकाई का कानूनी शीर्षक के हस्तांतरण करने के बाद वह केन्द्रीय विहार अपार्टमेंट स्वामी संघ/सोसायटी से अनुमति लेकर उसको उपविधि के अनुसार अपनी आवासीय ईकाई का निपटान कर सकता है।

36. के.स.क.क.आ.सं. का उत्तरदायित्व

- i) के.स.क.क.आ.सं. के नियंत्रण से परे विशेष स्थितियों में, के.स.क.क.आ.सं. द्वारा योजना का परित्याग किया जा सकता है। ऐसे मामले में, उसका उत्तरदायित्व होगा कि वह नियमों के अनुसार 1 प्रतिशत के प्रबंधन प्रभार और आवेदन शुल्क को घटाकर, जमा कराई गई पूरी राशि को ब्याज सहित वापस करें।
- ii) के.स.क.क.आ.सं. केवल एक सेवा प्रदान करता है। किसी भी कारण से हुए नुकसान के दावे के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसमें के.स.क.क.आ.सं. के कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटियां एवं चूक भी शामिल हैं।

37. संगठन के नियमों में संशोधन

सामान्य निकाय को किसी भी नियम तथा साथ ही संगम जापन में संशोधन, परिवर्तन या उसे हटाने की पूरी शक्ति है।

38. आवेदन की स्वीकृति

के.स.क.क.आ.सं. के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आवेदन को अंतिम रूप से स्वीकृत करने, उसके पंजीकरण, बुकिंग, आवासीय ईकाई और गैरेज के आबंटन का पूरा अधिकार है।

39. मध्यस्थता

- i) के.स.क.क.आ.सं. नियमों से संबंधित उन सभी विवादों जिससे लाभार्थियों के साथ के.स.क.क.आ.सं. के अधिकार प्रभावित होने की संभावना होगी उन्हें शासी परिषद के अध्यक्ष के पास भेजा जा सकता है। अध्यक्ष द्वारा बात करने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की जाएगी और उसका निर्णय अंतिम एवं लाभार्थी तथा के.स.क.क.आ.सं. के लिए बाध्यकारी होगा। विवाद की मध्यस्थता के अनुरोध पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा जहां कार्रवाई के कारण और आवास का कब्जा लेने के 2 महीने के भीतर किया जाता है। मध्यस्थता की कार्रवाई पूरी होने तक कब्जा नहीं दिया जाएगा।

- ii) मध्यस्थ की नियुक्ति पर आपत्ति का यह आधार नहीं बनाया जा सकता कि वह व्यक्ति अध्यक्ष के अधीनस्थ है और वह शासी परिषद अथवा कार्यकारी समिति का सदस्य है और के.स.क.क.आ.सं. की कार्यप्रणाली के साथ जुड़ा हुआ है या योजना का लाभार्थी है।
- iii) स्थानांतरण, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या ऐसी अन्य स्थिति में, जहां दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ विवाद का निर्णय देने में अक्षम होगा आदि के कारणों पर मध्यस्थ के कार्यालय छोड़ने पर नया उत्तराधिकारी चुनने का विशेषाधिकार और प्राधिकार होगा।
- iv) के.स.क.क.आ.सं. के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद और कानूनी कार्रवाई संपत्ति के स्थान के होते हुए भी यह विषय विवाद का विषय हो सकता है केवल दिल्ली के उपयुक्त न्यायालय में होगा। सभी मध्यस्थता कार्रवाई सुनवाई/केवल दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

40. तथ्यों की गलत बयानी अथवा छिपाना

यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदक ने झूठी सूचना दी है या कुछ तथ्यों को छिपाया है अथवा किसी भी प्रकार से आवासीय ईकाई के अधिकारों को हस्तांतरित किया है तो उसके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा और आवेदक को किसी प्रकार का संदर्भ दिए बिना आवास का पंजीकरण/बुकिंग रद्द कर दी जाएगी। उसे भविष्य की योजनाओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा। ऐसे मामलों में 'रद्दीकरण प्रभार' शीर्ष के अंतर्गत निर्धारित जुर्माने का भुगतान आबंटिती को करना होगा।


..... आवासीय योजना के लिए

आवेदन फार्म

पंजीकरण संख्या:.....

(कार्यालय के प्रयोग हेतु)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन,
जनपथ भवन, 'ए' विंग,
छठा तल, जनपथ,
नई दिल्ली- 110001
व्यक्तिगत विवरण



1. नाम	<input type="text"/>
2. पिता/पति का नाम	<input type="text"/>
3. किससे संबंधित है	अ.जा. <input type="checkbox"/> अ.ज.जा. <input type="checkbox"/> अन्य <input type="checkbox"/>
(लागू बक्से में निशान लगाएं। जाति प्रमाणपत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें, यदि लागू हो)	
4. किस वरीयता से संबंधित हैं	I <input type="checkbox"/> II <input type="checkbox"/>
5. कार्यालय का नाम एवं पता (जहां कार्यरत हों अथवा जहां से सेवानिवृत्त हुए हो)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	राज्य <input type="text"/>
	<input type="text"/>

भुगतान का विवरण

- 16. प्रेषित राशि
- 17. ड्राफ्ट सं0
- 18. ड्राफ्ट की तिथि
- 19. बैंक का नाम

नामिति का विवरण

20.

ना																
मिति	का															
पूरा	नाम															
और	पता															
		ई-मेल टेलीफोन नं														
		लैंड	लाइन													
		नं०														

संबंध:

नामिति के हस्ताक्षर

21. प्रमाणन (सेवानिवृत्त आवेदकों के मामले में अपेक्षित नहीं)
 जहां आवेदक कार्यरत है वहां के विभागाध्यक्ष/संस्थापना प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया जाए (जो लागू न हो उसे काट दें) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती..... पद पर में कार्यरत हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी है अर्थात् इन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा अथवा उनकी ओर से नियुक्त किया गया है और इनका वेतन है जो भारत की समेकित निधि के नामे है। (आवेदन के सेवा में होने के मामले में अपेक्षित)

.....

हस्ताक्षर

नाम

कार्यालय स्टांप (मुहर)

मैं एतद्वारा केन्द्रीय सरकारी कल्याण संगठन द्वारा जारी सभी नियमों एवं अनुदेशों का पालन करने का वचन देता/देती हूं।

आवेदन की तिथि

.....

.....

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदन भरने के लिए अनुदेश

1. इस फॉर्म को भरने से पहले के.स.क.क.आ.सं. के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
2. केवल स्पष्ट अक्षरों में भरे। एक बॉक्स में एक अक्षर।
3. शब्दों के बीच में एक खाली स्थान छोड़े और अंकों के बीच में स्थान नहीं छोड़े। पते में आवेदक का नाम पुनः नहीं लिखा जाना चाहिए।
क. 49, ग्रेटर कैलाश
ख. 5 दिसम्बर, 1941
4. पूर्ण विराम, अर्ध विराम, वर्गमूल, रोमन सं., रुपये आदि का उपयोग न करें।
5. कोई लिंक खाली न छोड़ें। यदि लागू न हो तो लागू नहीं लिखे उदाहरण के लिए सेवानिवृत्त कर्मियों को पंक्ति 5 में केवल लागू नहीं लिखना होगा, जैसा कि नीचे दिया गया है।
6. केवल मानक संक्षिप्ताक्षरों का उपयोग करें।

महत्वपूर्ण

7. आवेदन पत्र को विभागाध्यक्ष अथवा प्रशासन प्रमुख के माध्यम से अग्रेषित करना होगा, जहां आवेदक वर्तमान में कार्यरत है। प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी आवेदन को अग्रेषित करने के लिए सक्षम होना चाहिए और आवेदन पत्र के कॉलम 20 में मुहर लगानी चाहिए और हस्ताक्षर करने चाहिए तथा अवर सचिव से नीचे पद पर न हो।

शपथ पत्र का प्ररूप

आवेदन पत्र में संलग्न करने हेतु (मूल में)

(10/-रु० नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर जिसे नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त/प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित)

शपथ पत्र

(सभी प्रविष्टियां स्पष्ट अक्षरों में)

पूरा नामका/की पुत्र/पुत्री

/पत्नी (पूरा नाम)

वर्तमान में सेवारत कार्यालय (कार्यालय का पूरा नाम, स्थान एवं पता)

.....
.....
.....
.....

एतद्वारा विधिपूर्वक पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने आवेदन पत्र के साथ प्राप्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (लघु शीर्षक 'के.स.क.क.आ.सं. नियम') के नियमों को पढ़ और समझ लिया है, और मैं आगे पुष्टि करता/करती हूँ कि:

- i) मैं उक्त नियमों के अंतर्गत आवासीय ईकाई हेतु आवेदन करने का पात्र हूँ।
- ii) न मैं और न मेरी पत्नी/मेरा पति..... में आवासीय ईकाई अथवा रिहायषी प्लॉट के स्वामी है।
- iii) यह मेरा प्रथम आवेदन है और मैंने इस योजना के अंतर्गत केवल एक प्रकार की आवासीय ईकाई हेतु आवेदन किया है।
- iv) मैंने/मेरे/मेरी पति/पत्नी ने के.स.क.क.आ.सं. की किसी अन्य आवासीय योजना में आवेदन नहीं किया है।

अथवा

मैंने/मेरे/मेरी पति/पत्नी ने पंजीकरण संख्या के माध्यम से स्थित के.स.क.क.आ.सं. की आवासीय योजना में आवेदन किया था और उसमें से नाम वापस ले लिया है/ वापस लेने का शपथ लेता/लेती हूँ।

(जो खंड लागू न हो उसे काट दें)

- v) आवेदन पत्र में दिए गए सभी विवरण सही हैं और मैंने जानबूझ कर कोई तथ्यपूर्ण सूचना नहीं छिपाई है। मैं समझता हूँ कि यदि किसी भी समय उक्त कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो आवासीय ईकाई के आबंटन से मुझे अयोग्य किया जाएगा।

सत्यापन

अभिसाक्षी

मैं एतद्वारा सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र के खंड (i) से (v) में निहित विषय मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। कुछ भी गलत अथवा छिपाया नहीं गया है।

200..... के..... के..... दिवस को ने सत्यापित।

अभिसाक्षी